# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 390/2018

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| मोहनलाल पुत्र गणपतलाल जाति पालीवाल निवासी ग्राम होपरडी तहसील फलोदी जिला जोधपुर | | 1– लीलाधर पुत्र माणकलाल जाति पालीवाल निवासी होपारडी, तहसील फलोदी जिला जोधपुर<br>2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी फलोदी जो राजस्व प्रकरण संख्या 2014/2018 मे दिनांक 31–5–2018 को पारित किया गया ।

उपस्थिति:–

1–श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

## निर्णय

दिनांक 06–11–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष इस आशय का पेश किया कि उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 111 ग्राम होपरडी मे कुल 12 बीघा 17 बिस्वा आई हुई है जिसकी पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31–5–2018 के राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के केम्प कोर्ट लोर्डिया मे उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–5–2018 को ही स्वीकार रखते हुए तहसीलदार फलोदी को आदेशित किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नंबर 111 रकबा 12.17 बीघा भूमि ग्राम होपरडी की पत्थरगढी संबंधित पडौसी खातेदारान को जरिये नोटिस सूचित कर एवं सुनवाई कर विधिवत पत्थरगढी कराया जाना सुनिश्चित करे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त कर उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारो का

पक्षकार ही नही बनाया जबकि धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान अनुसार जिस खसरे के पत्थरगढी का आदेश दिया जाता है, उस खसरे के पडौसी खातेदारो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है तथा कथन किया कि मै खसरा नंबर 112 का रेकर्डेड खातेदार हूँ तथा अपीलाधीन आदेश खसरा नंबर 111 की पत्थरगढी बाबत पारित किया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष दिनांक 31–5–2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसी दिन दर्ज कर, अपीलाधीन भूमि की निर्विवादित पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त किये सीधे ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि विधि अनुसार धारा 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत किसी खसरे की निर्विवादित पैमाईश रिपोर्ट ओने के बाद ही धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पत्थरगढी का आदेश पारित किया जा सकता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान को नजरअदाज करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि राजस्व लोक अदालत मे केवल आपसी समझाईश से राजीनामे के द्वारा ही प्रकरणो का निस्तारण किया जा सकता है तथा यह भी कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का कोई अवसर ही नही दिया और उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 आर.एल.आर. एक्ट के प्रार्थना पत्र को लोक अदालत केम्प मे रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 111 मे पत्थरगढी करने क आदेश पारित किया है तथा मेरा खसरा नंबर 112 है जो अपीलांट के खसरा नंबर से चिपता हुआ होने से मेरे खसरा नंबर 112 की भूमि प्रभावित होगी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अतं मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–5–2018 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि मेने मे खातेदारी के खेत खसरा नंबर 111 की सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा यह भी कथन किया कि मेरे खातेदारी के खसरा नंबर 111 से लगते खसरा नंबरान के खातेदारो से कोई विवाद ही नही था इसलिए

मैने मेरे खसरा नंबर 111 रकबा 12.17 बीघा भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15–4–2018 के आधार पर पत्थरगढी बाबत अधीनस्थ न्यायालय मे निवेदन किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि मेरे खसरा नंबर 111 की खातेदारी की भूमि की माठ बाबत कोई विवाद किसी पडौसी खातेदार से नही था इसलिए हमने अधीनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार एवं उक्त खसरा नंबर 111 के सभी सहखातेदारो को पक्षकार बनाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमे पडौसी खसरा नंबरान के खातेदारो को पक्षकार बनाने की कोई आवश्यकता ही नही थी इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया तथा धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो का भी अध्ययन किया । वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे अपने खातेदारी के खेत खसरा नंबर 111 ग्राम होपरडी मे कुल 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी करवाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया, जिसका अवलोकन करने पर उक्त प्रार्थना पत्र मे केवल तहसीलदार फलोदी एवं उक्त खसरा नंबर 111 के सहखातेदारो को ही पक्षकार बनाकर पेश किया गया है जबकि अपीलांट खसरा नंबर 112 का रेकर्डेड खातेदार है तथा अपीलांट के खातेदारी का खसरा 112 रेस्पो0 संख्या 1 के खसरा नंबर 111 से लगता हुआ है इसलिए धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे खसरा नंबर 111 से लगते पडौसी खातेदारो को पक्षकारा बनाया जाना आवश्यक था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए पारित किया हुआ होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र के साथ निर्विवादित सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर तथा पडौसी खातेदारो को नोटिस जारी कर उनको सुनने के बाद ही पत्थरगढी का आदेश पारित किया जाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केम्प मे रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दिनांक 31–5–2018 को ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ तथा उसी दिन केम्प मे अपीलाधीन आदेश बिना तहसीलदार से जवाब एवं मौका वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही माना जा सकता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–5–2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट एवं सभी पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे पहले विधिवत सीमाज्ञान करावे तथा उसके पश्चात अपीलाधीन भूमि के पडौसी खातेदारो को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से पत्थरगढी बाबत आदेश पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 06–11–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर